संख्या:48/2018/1508/35-4-2018

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:20 दिसम्बर,2018

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र-मेरठ दक्षिण, किठौर,मेरठ कैन्टोन्मेंट से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1445.88 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1445.88 लाख (रूपये चौदह करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	विधान सभा क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	मेरठ दक्षिण	ग्राम कुण्डा में ग्राम की मैन रोड़ से आर0ए0एफ0 कैम्प तक सड़क निर्माण कार्य	0.700	31.39	31.39
2	मेरठ दक्षिण	हवाई पटओ से ग्राम काशी सौलाना तक सड़क निर्माण कार्य	2.00	91.36	91.36
3	मेरठ दक्षिण	बिजली बम्बा बाईपास से रेलवे अण्डरपास होते हुए ग्राम बाजौट तक सड़क निर्माण कार्य	1.35	64.43	64.43
4	मेरठ दक्षिण	ग्राम गगौल से खेड़ा क्रय केन्द्र तक सड़क निर्माण कार्य	1.725	85.65	85.65
5	मेरठ दक्षिण	ग्राम बहादुरपुर से मोहिउददीनपुर तक सड़क निर्माण कार्य	1.30	59.39	59.39
6	मेरठ दक्षिण	ग्राम भूडबराल से ग्राम बहादुर तक सड़क निर्माण कार्य	1.50	71.95	71.95
7	मेरठ दक्षिण	गागौल से ग्राम ततीना तक सड़क निर्माण कार्य	0.900	42.82	42.82
		योग विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण	**9.475**	**446.99**	**446.99**
8	किठौर	ग्राम कुनकुरा से जगदीश कश्यप के मकान से जगवीर कश्यप के मकान तक सी0सी0 टाईल कार्य	0.19	8.26	8.26
9	किठौर	ग्राम नंगली आजमाबाद में इंचौली-साधारणपुर मार्ग से श्यामलाल के मकान सी0सी0 तक मार्ग का नवीनीकरण कार्य	0.400	13.67	13.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	किठौर	ग्राम मऊखास में मेन रोड से ब्रजेश शर्मा के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य	0.150	7.30	7.30
11	किठौर	ग्राम रूकनपुर में मेन रोड से ज्ञानपुर की मेन रोड तक सड़क निर्माण/लेपन कार्य	1.35	69.49	69.49
12	किठौर	ग्राम गढ़ी में मुख्य मार्ग से श्रीपाल के मकान तक मार्ग पर सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य	0.135	13.86	13.86
13	किठौर	ग्राम सिखैड़ा में जय प्रकाश के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक सी0सी0 ई0 टाईल का कार्य	0.250	24.30	24.30
14	किठौर	ग्राम रूकनपुर में लाल पण्डित जी के घर से सियानन्द त्यागी के घर तक सी0सी0 ई0 टाईल का कार्य	0.200	15.55	15.55
15	किठौर	मेरठ पोढ़ी मार्ग से अम्हैडा आदिपुर मार्ग का नवीनीकरण कार्य	1.335	43.40	43.40
16	किठौर	ग्राम समयपुर से बढला कैथवाड़ा मार्ग निर्माण/लेपन कार्य	0.550	25.11	25.11
17	किठौर	मेरठ पोढ़ी मार्ग से सलारपुर मार्ग का निर्माण/लेपन कार्य	1.00	45.65	45.65
18	किठौर	सिखैड़ा से उल्देपुर रजवाहे की पटरी गढी मार्ग का नवीनीकरण कार्य	0.650	23.58	23.58
19	किठौर	ग्राम भगवानपुर से मऊखास तक सड़क निर्माण/लेपन कार्य	1.35	61.14	61.14
20	किठौर	ग्राम जिठौली में रामलखन के मकान से सूरज के मकान तक सी0सी0, इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य	0.060	3.05	3.05
21	किठौर	ग्राम रेदरा में मवी मार्ग पर आबादी क्षेत्र में इण्टरलाकिंग सी0सी0 टाईल्स कार्य	0.300	16.89	16.89
22	किठौर	ग्राम पसवाड़ा में किला रोड से बड़ा हसनपुर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य	1.040	45.80	45.80
23	किठौर	ग्राम ऐतमादपुर में होली चौक से कुआ चोक तक इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य	0.207	14.03	14.03
24	किठौर	ग्राम बहलोलपुर दबथला मार्ग से ग्राम अल्लीपुर तक खण्डजें से लेपन(पेन्टिग रोड) का कार्य	1.50	68.74	68.74
		योग विधान सभा क्षेत्र किठौर	**29.617**	**1393.8**	**1393.8**
25	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-37 अलकनन्दा धाम के गेट से कालोनी में डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.640	41.61	41.61
26	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-24 बक्सर में श्री मनिन्दर वाल्मिकी के घर से हनुमान मंदिर तक नाली व इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.250	32.06	32.06
27	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-20 ईशापुरम डिवाईडर रोड श्री मटरू के मकान से हनुमान मंदिर तक डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.280	53.69	53.69
28	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-46 किला रोड डा0 ढिल्लन के मकान से शिव मंदिर तक डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.870	58.28	58.28
29	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-40 मौहल्ला हरि नगर में श्री सतीशमलिक वाली गली व श्री संदीप तोमर वाली गली में नाली इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.350	45.99	45.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
30	मेरठ कैन्टोन्मेंट	ग्लोवल सिटी गेट से लेकर मेन रोड़ अक्षय के मकान तक डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.230	34.94	34.94
31	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-29 सुभाष नगर गली न0-8 की मैन रोड का डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.145	13.04	13.04
32	मेरठ कैन्टोन्मेंट	रोहटा रोड रामा गार्डन कालोनी में डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.150	23.18	23.18
33	मेरठ कैन्टोन्मेंट	अक्षम धाम कॉलोनी में डेन्स (बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.165	24.57	24.57
34	मेरठ कैन्टोन्मेंट	शेखपुरा की विभिन्न गलियों में नाली, इण्टरलाकिंग टाईल द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.477	39.07	39.07
35	मेरठ कैन्टोन्मेंट	मोदीपुरम पुष्पविहार में इण्टरलाकिंग टाईल द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.180	14.10	14.10
36	मेरठ कैन्टोन्मेंट	गोलाबढ़ में श्री भूरा सैनी के मकान से श्री राजवीर के मकान तक नाली, इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.124	19.35	19.35
37	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-23 में श्री चन्द्रभान चक्की वालों के मकान से कुटिया तक व डा0 चौहान की दुकान से श्री उमेश व श्री प्रताप गुप्ता चूल्हें वालों के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.488	31.46	31.46
38	मेरठ कैन्टोन्मेंट	वार्ड-9 में कासमपुर पहाड़ी से लेकर मलिक इण्टर कॉलेज के पास नालें तक व आबू नाले के पास विभिन्न सड़कों में नाली व इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.392	41.36	41.36
39	मेरठ कैन्टोन्मेंट	अशोका कॉलोनी में नाली व इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य	0.240	26.37	26.37
		योग विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्टोन्मेंट	**4.981**	**499.07**	**499.07**
		योग जनपद मेरठ	**25.123**	**1445.88**	**1445.88**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-1 से 24 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-25 से 39 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:48/2018/1508(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ।
13- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मेरठ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

http://shasanadesh.up.nic.in